

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 963/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, शाखा- प्लॉट नं. ए-58ए, ए 59, भूतल, स्कीम नं. 10-ए, रिद्धी सिद्धि
चौराहे के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री सुरेश चंद शर्मा पुत्र श्री मूलचंद शर्मा,
पता:- मकान नं. 38, निमड़ी वालों का रास्ता, ग्राम खेड़ावास नेवर, जमवारामगढ़, जयपुर
एवं श्रीकृष्णा साड़ी सेन्टर, धाबी की पुलिया, गावली, खेड़ावास गुढ़ा की पुलिया, तहसील
जमवारामगढ़, जयपुर।
2. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री सुरेश चंद शर्मा,
पता:- मकान नं. 38, निमड़ी वालों का रास्ता, ग्राम खेड़ावास नेवर, जमवारामगढ़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।
2. श्री जयवर्द्धन शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक : 28.12.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री सुरेश चंद शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति मकान नं. 95, हरीनगर, खोरी रूपाड़ा, आगरा रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज को बंधक रख कर दिनांक 20.02.2017 को राशि 07,50,000/- रुपये, दिनांक 10.04.2017 को राशि 02,50,000/- रुपये, कुल राशि 10,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का मौक्तिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। श्री जयवर्द्धन शर्मा, अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 10,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्राप्ति वित्तीय संस्था/बैंक को पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 09,97,975/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बंधक की गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा विलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निरस्तारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राप्ति वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुरेश चंद शर्मा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति मकान नं. 05, हरीनगर, खोरी रूपाड़ा, आगरा रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्ति वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला माजस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर